आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 73/2016** **मो0 आसिफ व अन्य बनाम् राज्य तथा अनिल उरांव व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील वाद–56–R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में दिनांक–28.01.2019 को वाद को सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया था, जिसके पश्चात् आवेदक तथा विपक्षी लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहे।अंततः दिनांक–28.02.2022 को आवेदक न्यायालय में उपस्थित हुये। उक्त तिथि को आवेदकों को प्रश्नगत् भूमि के संबंध में उनके पास उपलब्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। विपक्षियों के तरफ से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक–07.04.2022 को आवेदकों के पक्ष को सुना गया। प्रश्नगत् वाद में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान के आधार पर आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को नियमित किये जाने का विषय सम्मिलित है। विवादित भूमि खाता नम्बर–89, प्लॉट नम्बर–329 एवं 330, रकबा–06 कट्ठा, ग्राम–कोनका में अवस्थित है। आवेदक उक्त भूमि को वर्ष–1945 में उनके पिता द्वारा सादा पट्टा से क्रय किये जाने का दावा करते है तथा उक्त तिथि से ही प्रश्नगत् भूमि पर सर्वप्रथम कच्चा मकान तथा बाद में पक्का निर्माण होने का दावा किया गया है। विशेष विनिमयन पदाधिकारी द्वारा धारा–71 ए के द्वितीय परन्तुक के तहत् 1,75,000/– रुपया प्रति डिसमिल मुआवजा भुगतान के आधार पर इस भूमि को विनियमित करने का आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से जाँच करते हुये इस विषय पर पुनः सुनवाई की गयी। लगातार नोटिस के बाद भी आवेदक उपायुक्त के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये, जिस कारण उपायुक्त द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी के कई मामलों में नियमों का उल्लंघन कर कतिपय अन्य आधार पर विनियमन के	

Scanned by CamScanner

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आदेश पारित किये गये थे। स्थलीय जाँच में यह स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत् भूमि पर किये गये निर्माण मात्र 07–08 वर्ष पूर्व किये गये थे। स्पष्टतः धारा–71 AE के द्वितीय परन्तुक का लाभ ऐसे मामले में दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं था। इस कारण अपीलीय न्यायालय द्वारा इस विनियमन आदेश को रद्द किया गया है। आवेदकों को प्रश्नगत् भूमि पर उनके अधिकार के संबंध में कागजात दायर करने हेतु निदेशित किया गया, जिसमें उनके द्वारा सादा बिक्री पत्र से 1945 से भूमि क्रय करने का दावा किया गया है। प्रश्नगत् भूमि पर Municipal Holding 2017 मे कायम हुआ है। आवेदकों की तरफ से वर्ष–1975 में निर्गत एक राशन कार्ड प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसी भूमि का पता दर्ज है। स्पष्टतः Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व उक्त भूमि पर कोई विशिष्ट संरचना निर्माण किये जाने के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। सादा बिक्री पत्र के माध्यम से आदिवासी रैयती भूमि का हस्तांतरण वैध नहीं माना जा सकता। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है। आवेदकों के द्वारा विशेष विनिमयन पदाधिकरी के पारित आदेश के आलोक में राशि का भुगतान किया गया है। उक्त राशि की नियमानुसार वसूली हेतु वे स्वतंत्र है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 13:07:04 +05:30
Location: 192.168.1.40

Scanned by CamScanner